न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश सहारण, आर.ए.एस.

प्र.सं. 90/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/32

1. सुखविन्द्र सिंह सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ (विलोपित)
2. तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दौलत सिंह (मृतक)—वारिसान
   - 1.1 बलराज सिंह पुत्र दौलतसिंह
   - 1.2 सुजाता पुत्री दौलत सिंह
   - 1.3 ममता उर्फ माधवी पुत्री दौलत सिंह
   - 1.4 वनीता सिंह पुत्री दौलत सिंह

   जाति यादव निवासीगण वार्ड नं. 12 पुलिस थाने के पीछे, अनूपगढ़

2. रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह जाति यादव सा. गांधी नगर, बीकानेर।
3. सुरेन्द्र कुमार(मृतक)—वारिसान
   - 3.1 कमला पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार
   - 3.2 विषयंत पुत्र सुरेन्द्र कुमार
   - 3.3 अंशु पुत्री सुरेन्द्र कुमार
   - 3.4 अर्चना पुत्री सुरेन्द्र कुमार

   जाति यादव निवासीगण हाल जी—90 समता नगर, बीकानेर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(3) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975

उपस्थिति :—

1. तहसीलदार अनूपगढ़ — प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 1.1)
3. स्वयं, अप्रार्थी स. 3.1 से 3.4(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 3.2)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 05.9.24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रार्थी सुखविन्द्र सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22(3) आई.जी.एन.पी आवंटन के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 16 ए के मु.नं. 299/447 का किला नं. 1 ता 21 की कुल 14 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि जरिये मि.स. 20/80 विशेष आवंटन निर्णय दिनांक 24.09.1980 व 06.03.1981 को विशेष आवंटन दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह एवं मु.न. 299/447 का कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि जरिये मि.स. 68/81 दिनांक 06.03.1981 विशेष आवंटन रमेश कुमार द्वारा करवा ली। आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका है। दौलत सिंह सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर ने अपने अपने आवेदन पत्र में कथन किया कि वह आवंटन नियमों के खंड 05, 13 व 17 के तहत परिभाषिक व्यक्ति है तथा इन खंडों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

तहत वह भूमि आवंटन करवाने के पात्र हैं, जबकि दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर सिंह अपने–अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपनिवेशन तहसीलदार राजस्थान नहर योजना विजयनगर के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर भूमिहीन काश्तकार के प्रमाण पत्र तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से मिथ्या बनवाकर पेश किए हैं जिस पर दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार ने तत्कालीन आवंटन अधिकारी से सांठगांठ की जिसपर आवंटन अधिकारी ने दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर सिंह को खंड 5, 13 व 17 के अनुसार इनके भूमिहीन प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र मानकर उक्त भूमि आवंटित की एवं दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार पुत्रान मनोहर सिंह भूमिहीन काश्तकार नही थे जबकि रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह जो सद्भाविक कृषि पेशा व भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति भी नही था क्योंकि वह एमबीबीएस डिग्रीधारक डॉक्टर है दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार ने तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से मिलकर भूमिहीन प्रमाण पत्र मिथ्या तैयार करवाया है जबकि आवंटन नियम 2 के खंड 13 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का सद्भाविक कृषक या कृषक श्रमिक होना जरूरी था ऐसे व्यक्ति का 25 बीघा से कम भूमि धारित करने वाला होना चाहिए जबकि इस प्रमाण पत्र में व इस पर अंकित इनका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रमेश कुमार के पास 32 बीघा 1 बीस्वा भूमि कमांड भूमि स्वयं रमेश कुमार के पास थी इसके अलावा वह पेशे से डॉक्टर था तथा दौलत सिंह के पास 28 बीघा स्वयं की व सुरेन्द्र कुमार के पास 33.14 बीघा भूमि स्वयं की थी ऐसी स्थिति में उक्त तीनों ही व्यक्ति भूमिहीन नहीं होते हुए तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर भूमिहीन प्रमाण पत्र मिथ्या व कूट रचित तैयार किया जबकि तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार ने यह जानते हुए भी कि ये दस्तावेज मिथ्या हैं उसके बावजूद हस्ताक्षरित कर जारी किया एवं दौलत सिंह सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार उक्त भूमि को आवंटन कराने का पात्र नहीं होते हुए जिन्होंने नगरपालिका अनूपगढ़ के सीमा क्षेत्र के चिपती हुए बहुमूल्य भूमि का हथियाने के लिए तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से आपराधिक षड्यंत्र रचकर भूमिहीन का मिथ्या प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन पत्र में मिथ्या कथन कर व आवेदक पत्र में भूमिहीन होने का झूठा शपथ पत्र पेश कर आवंटन अधिकारी से सांठगांठ कर उक्त भूमि अपने नाम से विधि विरूद्ध आवंटन करवाकर राज्य सरकार की भूमि प्राप्त कर राज्य सरकार को करोड़ों रूपए का नुकसान पहुंचाया है एवं अप्रार्थीगण सुरेन्द्र कुमार दौलत सिंह, रमेश कुमार तीनों ही भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते ना ही उनका पेश काश्तकारी था बल्कि अनूपगढ़ व बीकानेर शहर में रहकर दुकानदारी करते थे। नियम 22(3) विधि के विरूद्ध आवंटन किए गए को खारिज करवाने का प्रावधानर हैं तीनों ही आवंटन के पात्र नहीं थे। इसलिए अप्रार्थीगण ने आवंटन अधिकारी को धोखे में रखकर भूमि आवंटन करवाई है जो काबिले खारिज है एवं उपखंड अधिकारी के भी रिपोर्ट करवाई थी उनके द्वारा जांच करके 01.02.2018 को आवंटन को विधि विरूद्ध मानते हुए अदालतवाला में रिपोर्ट पेश कर दी थी एवं उक्त भूमि काबिल कृषि थी इसमें बिना भूरूपांतरण करके करवाए फैक्ट्रियां व धर्मकांटा लगा लिया है जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए उक्त रकबे को खारिज किया जाना इंसाफ की दृष्टि से आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील अनूपगढ़ के चक 16ए मु.न. 6 प.स. 299/447 की कुल 3.858 हैक. भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाने के लिए निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4 जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं. 3.1 से 3.4 जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 3.2 के उपस्थित हुए।

अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवंटित भूमि विक्रय की जा चुकी हैं। तथा वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 व 3 के वारिसान के नाम से दर्ज हैं जिसकी पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा हो चुकी हैं। अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4 व 3.1 से 3.4 ही प्रकरण से हितबद्ध पक्षकार हैं जो कि उपस्थित हो चुके हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात पेश किये गये। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली पहले जिला कलक्टर न्यायालय अनूपगढ तत्पश्चात जिला कलक्टर महो. अनूपगढ के आदेशों की पालना में हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। इस दौरान दिनांक 12.12.2023 को तहसीलदार अनूपगढ को बतौर प्रार्थी पक्षकार प्रतिस्थापित किया गया तथा दिनांक 12.10.2023 को प्रार्थी सतनाम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो हेतु निवेदन किये जाने के आधार पर प्रार्थी सतनाम सिंह की हद तक प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप करते हुए प्रार्थी सतनाम सिंह का नाम हटाते हुए शीर्षक में प्रार्थी के नाम के आगे विलोपित अंकित करने के आदेश पारित किये गये।

3. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह को आंवटित होने के तथ्य रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है तथ्य रिकॉर्ड अनुसार दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त होना स्वीकार है। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार हम अप्रार्थीगण के पति/पिता आंवटन नियम उपनियम के तहत ही कृषि भूमि का आंवटन करवाया गया जो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं था। पात्रता के आधार पर आंवटन किया गया जो सही आंवटन है। उपरोक्त भूमि वर्ष 1980–81 में विशेष आवंटन के तहत आंवटित की गई थी। प्रार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति एवं स्टेटस वर्तमान स्टेटस से भिन्न था। चूंकि आंवटन करवाने वाला व्यक्ति 20 वर्ष से राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक शर्त थी । विशेष आंवटन के नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 के तहत पात्रता रखते थे व विशेष आंवटन का पात्र मानते हुए ही आंवटन अधिकारी द्वारा विशेष आंवटन किया गया था। जिसमें कोई भी गलत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों के तहत एवं पात्रता के आधार पर आंवटन किया गया था जो सही एवं उचित था। विशेष आंवटन की समस्त शर्तों के तहत आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार को आंवटित किया गया था। जिसमें नियम 2 के तहत खंड 13 के प्रावधान लागू नहीं होते। तथाकथित प्रार्थी ने इस मद में जो उक्त नियमों को परिभाषित किया गया है व हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते और न ही किसी प्रकार से किसी तथ्यों को छुपाया गया है तथा ना ही प्रसंगत भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी और विशेष आंवटन में ही नियमानुसार आंवटन किया गया है। मूल आंवटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार 20 वर्षों से राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण विशेष आंवटन करवाने के पात्र थे तथा विशेष आंवटन नियमों के तहत ही सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त जांच कर आंवटन किया गया था। जिसके खातेदारी अधिकार भी मूल आंवटियों के नाम प्रदत्त की गई एवं 40 वर्षों के उपरांत आंवटन आदेश को चुनौति दी गई जो विधि विपरीत है। प्रार्थी ने अधिकाररहित झुठी शिकायत प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 02 लिखित बहस प्रस्तुत की उपरोक्त दोनों प्रकरण आंवटन को रद्द करने के शिकायत प्रार्थना पत्र है। सुविधा की दृष्टि से दोनों में ही बलराज सिंह पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा उक्त दोनों शिकायतें प्रार्थना पत्र आंबटन नियम 7 के प्रकाश में एवं दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार सद्भाविक कृषक ना होने के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है। इसी कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के एक प्रकरण धारा 21 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत दोनों प्रार्थना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। मूल आंवटी द्वारा कोई मिथ्या घोषण नहीं की गई एवं ना ही कोई तथ्य छुपाया गया है, वर्ष 1980–81 में विशेष आंवटन के तहत जो जमीन आंवटित की गई वो पात्रता के आधार पर एवं आंवटन नियमों के तहत ही विशेष आंवटन के पात्र मानते हुए ही आंवटन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर नियम 11,14 लागू नहीं होते एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण यह शिकायत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि में आंवटन के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है व खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में आंवटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। तहसीलदार अपनी बहस में कथन किया कि दौलत सिंह पुत्र मनोहरसिंह के वारिसान बलराजसिंह व युवराजसिंह जाति यादव एवं सुरेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह के वारिसान कमला यादव, विश्यंतसिंह एव अन्य के नाम कुल 9 खातो में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर दौलत सिंह–सुरेन्द्रसिंह पि. मनोहर सिंह जाति यादव ई.स. 07 दिनांक 20.19.1989 से पटवार रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि आंदिनाक तक उक्त रकबे मं इनके जायज वारिसान बलराजसिंह व युवराज सिंह पि. दौलतसिंह, कमला यादव, विश्यंतसिंह व अन्य पि. सुरेन्द्रसिंह के कब्जा में व देखरेख में है। आवंटीयों का कब्जा जरियें वारिसान इन्तकाल है एवं आवंटियों के वारिस अनूपगढ़ के निवासी है।

5. प्रार्थी सुखविन्द्रसिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 पुरान अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मध्य प्लॉट का विवाद चल रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22(3) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया जिसके चलते प्रार्थी उक्त प्रकरण में पेश किया गया था जिसमें अब प्रार्थी का अप्रार्थीगण से पंच पंचायत की समझाइश से एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। जिससे हम पक्षकारन सहमत हैं। अब प्रार्थी उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। मुकदमा चलने से आपसी मुकदमा विवाद बढ़ेगा जिससे समय व धन की भी बर्बादी होना इसलिए सद्भाविक रूप से पक्षकारान के बीच में आपस में राजीनामा हो गया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अनूपगढ़ व अप्राथीगण वकील की बहस एवं प्रार्थी सुखविन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र पर गहनता से मनन किया गया। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का पेशा कृषि था एवं अप्रार्थीगण 1 के अधिवक्ता के तहत सद्भाविक कृषक वह व्यक्ति है जिसकी प्राथमिक स्त्रोत कृषि है चूंकि आवंटी ने अपने विशेष आंवटन प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा धारित एवं पिता की भूमि में अपना हिस्सा वर्णित किया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आंवटी सद्भाविक कृषक थे जो कृषि भूमि काश्त व कृषि कार्य करते थे और जिनकी आय का स्त्रोत कृषि था (राजस्थान उपनिवेशन इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13ए विशेष आंवटन द्वारा विक्रय नियम में सद्भाविक कृषक दिनांक 15.07.1993 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव में आना प्रभावित किया गया सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका चैयरमैन बनने एवं रमेश कुमार के पास एमबीबीएस डिग्री के होने के आधार पर आंवटन निरस्त करना कतई न्यायसंगत विधिक संगत नहीं है। नगरपालिका का चैयरमैन एवं एमबीबीएस डिग्री कोई व्यवसाय या आय स्त्रोत नहीं है धारित भूमि एवं विशेष आंवटन द्वारा आवंटित भूमि मिलाकर भी आंवटी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करते हैं आंवटी राजस्थान के मूल निवासी एवं सद्भावी कृषि कार्य से आजीविका निर्वाह करते थे जिसकी पुष्टि उपलब्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट व दस्तावेजों से हो चुकी है पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आंवटी की आय का स्त्रोत कृषि नहीं था।

7. भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने की गलत व निराधार है राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इ.गा.न.प. क्षेत्र में आंवटन नियम 1975 के नियम 3 के तहत गजट में आरक्षित नहीं हुई थी और ना ही भूमि में पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि का आरक्षित होने का कोई गजट पेश किया गया है। भूमि आंवटन हुए 43 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है भूमि की समस्त किश्तें व बकाया अदा की जा चुकी है तथा भूमि खातेदारी है प्रथम तो चैयरमेन एक निर्वाचित पद है। यह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है। आंवटन 1980 व 1981 का है उस समय सरकारी कर्मचारी को भी आंवटन हो सकता था। इस हेतु नियमों में संशोधन 15.07.1993 को आया। 1980 व 1981 के आंवटन पर लागू नहीं होता। आरबीआई 2002 पेज संख्या 103 प्रभावशील नहीं है। सुरेन्द्र सिंह का चैयरमेन एवं रमेश कुमार के पास एमबीबीएस डिग्री होने से सरकारी कर्मचारी माना भी नहीं जा सकता।

8. खातेदारी प्राप्त होने भूमि का हस्तांतरण होने से इस अवस्था में आंवटन निरस्त करना न्याय का हनन होगा। स्वयं शिकायतकर्ता ने इसे समझते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रा कर लिया है। तहसीलदार द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर वर्तमान में बिना भू–रूपातंरण के अकृषि कार्य के होने एवं ऐसा कोई भी तथ्य पक्षकारान के विरूद्ध पेश किया जिससे आवंटित रकबा निरस्त किया जा सके। अप्रार्थीगण के नाम से चक 11 पी में भी कृषि भूमि है। इससे भी यह कृषक पेशा साबित है। तमाम तथ्यों के विचारण से निष्कर्षतः यह पाया गया हैं कि भूमि विशेष आवंटन के तहत लगभग 43 वर्ष पूर्व आवंटित की गई है, खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। तहसीलदार के वारिसान ईन्तकाल के पश्चात आवंटियों के जायज वारिसों का भूमि पर कब्जा काश्त में है। अतः भूमि का आवंटन विधिसम्मत किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा आवंटियों को किया गया विशेष आवंटन दिनांक 24.09.1980 एवं 06.03.1981 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तरतीव तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5/9/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
R.A.S
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner